न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या:–13/2020
सीसी एम एस न0 2020/00026

दर्ज दिनांक 24.01.2020
निर्णय दिनांक 21.04.2023

मूलसिंह दत्तक पुत्र श्री जसवन्तसिंह उम्र 61 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम केड तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

बनाम

1. रूपेन्द्र पुत्र राजेन्द्र सिंह उम्र 30 वर्ष 2. रविराज सिंह पुत्र श्री राजेन्द्रसिंह उम्र 35 वर्ष 3. सरोज कंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह उम्र 62 वर्ष जिला झुन्झुनूं (राज.)	जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम केड तहसील उदयपुरवाटी।
4. कालुराम पुत्र स्व. श्री बिरजूराम 5. भंवरलाल पुत्र स्व. श्री बिरजूराम 6. सुन्दरलाल उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व. बिरजूराम 7. विनोद कुमार पुत्र स्व. बिरजूराम	जातियान नायक निवासीगण केड तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

8. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय गुढ़ागौड़जी।

प्रार्थना–पत्र अस्थाई व्यादेश

निर्णय

दिनांक 21.04.2023

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आश्य का पेश किया है कि उनवानी वादपत्र मूलसिंह बनिाम रूपेन्द्र आदि बाकायदा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। उक्त दावा बहूत ही मजबूत आधारो पर आधारित है। उक्त दावा बहूत ही मजबूत आधारो पर आधारित है। जिसमें आवेदक को सफलता मिलने की पूरी–पुरी आशा एंव विश्वास है। यह कि ग्राम केड की सरहद में स्थित खाता संख्या नया 137 की भूमि खसरा न. 266 रकबा 0.44 है0 किस्म बजड़ द्वितीय अवस्थित है जिसमें आवेदक का अविभाजित 1/2 हिस्सा है शेष 1/2 हिस्सा अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 का है। इस भूमि को प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त वर्णित विवादित भूमि में आवेदक एवं अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 के मध्य आपस में मौखिक बंटवार भी नहीं हुआ हैं सम्पूर्ण भूमि शामलाती है। इस भूमि का अभी तक मौखिक एवं विधिवत रूप से बंटवार नहीं हुआ है। अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 को इस भूमि का विधिवत बंटवारा हेतु आवेदक द्वारा कई बार निवेदन किया जा चुका है लेकिन वे आजकल करते हुए समय निकालते रहे तथा अब जाकर के अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 ने मना कर दिया कि हम कोई बंटवारा नहीं करेंगे तथा मौका लगने पर इस शामलाती भूमि को विक्रय करेंगे। इसलिए आवेद की रक्षार्थ यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय की सेवा में पेश है। अनावेदक संख्या 4 लगायत 7 इस भूमि के लिए बिलकुल अजनबी व्यक्ति है जो अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 की सह स्वीकृति से इस खाली भूमि पर ब्लात कब्जा करने की कुचेष्टा से वहां पर पुख्ता निर्माण करना [illegible] पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अनावे[illegible] के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाए कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का बिना विधिवत बंट[illegible] ना करे, ना ही पक्का निर्माण करें। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी[illegible] तलबी वास्ते जवाब [illegible] की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:05:42 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

संख्या 4 लगायत 7 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पर संलग्न के अनुसार उत्तरदातागण के स्वर्गीय हुक्मा के वारिसान का कब्जा है मकानात व दुकाने बनी प्रार्थी का मौके पर कोई कब्जा नहीं है। हुकमाराम के वैद्य वारिसान शांति देवी व कौशल्या देवी है प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इकरारनामा दिनांक 25.01.2000 को जरिये अप्रार्थी 1 लगायत 3 ने यह स्वीकार किया है कि भूमि खसरा न. 266 रकबा 0.44 है0 कृषि भूमि ग्राम केड बीच में स्थित है इस जमीन में हुकमाराम पुत्र मानाराम जाति नायक निवासी केड की बसासत है।प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने स्वर्गीय हुकमाराम के वारिसान का कब्जा स्वीकार किया है। अन्त मे जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र आधारहीन के होने के कारण खारिज फरमया जाना प्रार्थनीय है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने सीधे बहस हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 8 बावजूद तामिल हाजीर नही अत इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस प्रार्थना–पत्र मूल श्रवण की गई। बहस प्रार्थना पत्र के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यो को दौहराया तथा कथन किया कि विवादित भूमि में आवेदक एवं अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 के मध्य आपस में मौखिक बंटवार भी नहीं हुआ हैं सम्पूर्ण भूमि शामलाती है। इस भूमि का अभी तक मौखिक एवं विधिवत रूप से बंटवार नहीं हुआ है। अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 को इस भूमि का विधिवत बंटवारा हेतु आवेदक द्वारा कई बार निवेदन किया जा चुका है लेकिन वे आजकल करते हुए समय निकालते रहे तथा अब जाकर के अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 ने मना कर दिया कि हम कोई बंटवारा नहीं करेंगे तथा मौका लगने पर इस शामलाती भूमि को विक्रय करेंगे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है। बहस में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं हैं उक्त भूमि अप्राथ्यर्चाी की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने भी अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 7 का कब्जा स्वीकार किया है। उक्त भूमि शामलाती भूमि है। प्रार्थी केवल अप्रार्थी को हैरान व परेशान करने के लिए पेश किया है जिसे खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन तथा बहस पर मनन किया गया । प्रार्थना पत्र मूल में वर्णित भूमि मे अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। तथा रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। अतः उक्त विवेचना से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मूल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक को 21.04.2023 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:05:42 IST
Reason: SelfAttested